

प्रेषक,

संख्या:

/XXIV-2/2004

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन

सैवा मे.

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र -2,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक ०४ जुलाई, 2004

विषय: ऐंजिल्स एकेडमी स्कूल बहादराबाद, हरिद्वार को सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि ऐंजिल्स एकेडमी स्कूल बहादराबाद, हरिद्वार को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवधां के अधीन आपत्ति नहीं हैः—

- 1— विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का संगठन-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2— विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाभिज्ञ एक संस्था होगा।
- 3— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुसूचना की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5— संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता पाप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

- 6- कर्मचारियों की रोबा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर गान्धीगिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा सगय-सगय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10- विद्यालय द्वारा शिक्षक / कर्मचारियों को बेतान एवं भत्ते राज्य सरकार के समतुल्य एक माह के अन्दर दे दिये जायेंगे।
- 2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदूत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

मा० २५
संख्या: (1) XXIV-2/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
2- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल- पौड़ी।
3- जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
4- प्रबन्धक, ऐंजिल्स एकड़मी स्कूल बहादुराबाद, हरिद्वार।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

Chauhan
Principal
Anglican Academy
Sec. School Bahadurabad,
Haridwar (U.K.)
Aff. to C.B.S.E. New Delhi